राजस्थान सरकार
वन विभाग

वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को अमृता देवी स्मृति पुरस्कार देने की योजनाः—

1.प्रस्तावनाः—

विश्व के इतिहास में वृक्षों की रक्षा के लिए प्राणों की आहूती देने की घटना राजस्थान में ही घटी है इस प्रकार का एक अविस्मरणीय बलिदान सन् 1730 में जोधपुर जिले के खेजडी गांव में हुआ, जहां सैकडों लोगों ने वृक्षो को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। खेजडली जोधपुर से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर बसा छोटा सा गांव है जिसमें खेजडली के पेड काफी तादाद में पाये जाते थे। इस गांव में अधिकतर आबादी विश्नोईयों की है जिनके धर्म में हरे वृक्ष काटना पाप है। उनकी धारणा है कि **"माथा कटे रूंख बचे तो भी सस्ता जाण"**। तत्कालीन जोधपुर रियासत के राजा ने जोधपुर किले के निमार्ण हेतु चूना पकाने के लिए खेजडी गांव से पेड काटकर लाने के आदेश दिये। जब राजा के कारिन्दे पेड काटने खेजडली पंहुचे तो वहां विश्नोईयों ने इसका सामूहिक विरोध किया। पेड काटने वालों ने तब यह बात वहां के दीवान को बताई तो उसने जबरन पेड काटने का आदेश दिया। इस आदेश की पालना में जब पेड काटने वाले खेजडली पहुंचे तो सबसे पहले उस गांव की वीर प्रसुता श्रीमती अमृता देवी ने अपना सिर कटाकर वृक्षों को काटने का विरोध किया, जिसका अनुसरण उसकी तीन पुत्रियों ने किया और इस प्रकार 363 नर—नारियां वृक्षों की रक्षा के लिए शहीद हो गये। बलिदान व्यर्थ नही गया। राजा ने क्षमा याचना करते हुए विश्नोई क्षेत्रों में वृक्ष काटने पर कठोर पाबन्दी लगा दी।

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

भारतीय इतिहास की इस गौरवपूर्ण घटना चिरस्मरणीय हेतु इस बलिदान की प्रणेता श्रीमती अमृता देवी की स्मृति में प्रदेश में वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाना, उस वीर नारी के लिए सच्ची श्रंद्धांजली होगी। इससे वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र मे लोगों द्वारा किये गये अच्छे कार्यो को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने से उनमें वन एवं वन्य जीव सुरक्षा की भावना और अधिक प्रबल करने में मदद मिलेगी।

2. पुरस्कारों की श्रेणियांः—

राज्य में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक व्यक्तियों, वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों, पचायतों तथा ग्राम स्तरीय संस्थाओ द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा हैं।

चूंकि इनमें से अधिकतर व्यक्ति/संस्थायें राज्य के दूर—दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे है इसलिए इनके योगदान प्रायः अनदेखे एवं अप्रशंसित रह जाते है। इनके कार्यो को मान्यता प्रदान करने एवं सुरक्षा, वन विकास तथा वन्य जीव संरक्षण को जन आन्दोलन का रूप देने के लिए राज्य स्तर पर निम्न पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जावेंगेः—

क्र. सं	श्रेणी	पुरस्कार राशि
1.	वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा में, उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पंचायत/ग्राम स्तरीय संस्थायें।	1,00,000 एवं प्रशस्ति पत्र
2.	वन विकास, संरक्षण एवं वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति।	50,000 एवं प्रशस्ति पत्र
3.	वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति।	50,000 एवं प्रशस्ति पत्र

वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को अमृता देवी स्मृति पुरस्कार देने के नियम एव प्रकियाः—

1. पुरस्कार प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के मापदण्डः—

1. संस्था (1) ऐसी संस्था जिसने वन भूमि अथवा पंचायत भूमि पर उगे हुए प्राकृतिक वनों की कम से कम तीन वर्षो तक अपने स्वयं के प्रसास से कटिबद्व रूप से सुरक्षा की हो।

(2) ऐसी संस्था जिसने अपनी अथवा सार्वजनिक भूमि पर 20,000 या इससे अधिक वृक्ष लगाकर उन्हें कम से कम तीन वर्ष तक पनपाया हो एवं उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की हो। आंकलन करते समय पौधों की किस्म, जीवित प्रतिशत एवं बढत, भूमि की किस्म, जल एवं मृदा सरंक्षण के लिये किये गये प्रयास, सिंचाई हेतु किये गये प्रयत्न को दृष्टिगत रखते हुए कार्य की गुणवत्ता का निर्धारण किया जावेगा।

अनुमोदित
शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

(3) ऐसी संस्था जिसने वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा वन्य जीव संरक्षण स्थलो की सुरक्षा एवं विकास में कम से कम तीन वर्ष तक उत्कृष्ट कार्य किया हो, इस पुरस्कार की पात्र होगी।

2. वन विकास, संरक्षण एवं वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्तिः—

कोई भी कृषक अथवा व्यक्ति जिसने अपनी अथवा सार्वजनिक भूमि पर 5,000 या इससे अधिक पौधों को रोपित कर उन्हें कम से कम तीन वर्ष तक विकसित किया हो, इस पुरस्कार के पात्र होगें। वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण में, असाधारण भूमिका जैसे वनों को अग्नि, कटान, चोरी से बचने एवं इनकी रोकथाम स्वयं करने अथवा वनाधिकारियों को सहयोग प्रदान करने एवं स्वयं के स्तर पर वन विकास करने वाले व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते है।

2. वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति :

वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में असाधारण कार्य जैसे वन्य जीवों की शिकारियों से रक्षा करना, घायल जीवों को समय पर राहत पहुंचाकर उनका जीवन बचाना, वन्य जीव क्षेत्रों में घटित वन अपराध अग्नि आदि की रोकथाम में किये गये उत्कृष्ट प्रयत्न एवं वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र विकास में सहयोग करने वाले व्यक्ति पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकते हैं।

3. प्रतिस्पर्धा में भाग लेने एवं निर्णय की प्रकियाः—

प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जन संचार माध्यमों के जरिये इच्छुक लोगों/संस्थाओं से पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना – पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। प्रतिस्पर्धा के लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र 30 जून तक उस क्षेत्र के उप वन संरक्षक को जमा करवा दिये जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसे अनपढ व्यक्ति जिन्होंने वन सुरक्षा का अच्छा कार्य किया है तथा जो स्थानीय स्टाफ की जानकारी में है उनके आवेदन पत्र निर्धारित तिथि से पूर्व पूर्ण विवरण सहित किसी वनकर्मी या स्थानीय नागरिक द्वारा भी सीधे ही सम्बन्धित अधिकारी को भरकर भेजे जा सकते है। प्राप्त आवेदनों के संबंध में प्रादेशिक उप वन संरक्षक Ground-truth verification उनके द्वारा गठित एक समिति द्वारा करवायेंगे। Ground-truth verification के समय संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के प्रतिनिधि को भी साथ रखना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में प्रादेशिक उप वन संरक्षक जिले में पदस्थापित सभी उप वन संरक्षकगण की एक बैठक आयोजित कर अन्तिम निर्णय लेगे तथा उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :—

1. संबंधित जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3. जिले के उप वन संरक्षक (टेरिटोरियल)	सदस्य सचिव

संबंधित जिले में वन एवं वन्य जीव में रूचि रखने वाले व्यक्ति को इस समिति के सदस्य के रूप में चुनने के लिए उक्त जिला स्तरीय समिति को छूट होगी।

जिला स्तरीय समिति अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रति वर्ष **31 जुलाई** तक संभागीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) को प्रेषित करेंगे। समस्त प्राप्त आवेदन प्रत्येक स्तर पर एक रजिस्टर में सूचीबद्ध किये जावेंगे। पुरस्कार हेतु चयन के लिए गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किये गये कार्यों का आंकलन किया जावेगा। **प्रत्येक उप वन संरक्षक प्रयास करेंगे कि उनके क्षेत्र से कम से कम दो प्रस्ताव संभागीय मुख्य वन संरक्षक को भेजे जावें।**

जिलों से प्रविष्टियां प्राप्त होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर पर बनी तकनीकी समिति समस्त प्रविष्ठियों की (यदि आवश्यकता हो तो मौके का प्रमाणीकरण करवा कर) सर्वोत्तम व्यक्ति/संस्था का चयन कर राज्य स्तरीय समिति को **15 अगस्त** तक अपनी अनुशंषा के साथ प्रेषित करेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर पर तकनीकी समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ) राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक (आर.एफ.बी.पी. फेज–II) राजस्थान जयपुर	सदस्य
6	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	सदस्य
7	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	सदस्य
8	मुख्य वन संरक्षक, आयोजना, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
9	मुख्य वन संरक्षक, ई.जी.एस. राजस्थान, जयपुर	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समिति उक्त तकनीकी समिति की अनुशंषा के आधार पर सर्वोत्तम प्रविष्ठि पर वर्ष **31 अगस्त** तक निर्णय लेगी। पुरस्कार के चयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा। राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1	वनमंत्री महोदय	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग	सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
4	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
6	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
7	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.), राजस्थान, जयपुर	सदस्य
8	निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
9	शासन सचिव, वन विभाग	सदस्य सचिव

उक्त समिति चाहे तो वन्यजीव एवं वन संरक्षण, वन विकास में रूचि रखने वाले राज्य के किसी भी व्यक्ति को सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है। इस समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा।

यह पुरस्कार उत्कृष्ट कोटि के कार्य के लिए ही प्रदान किया जावेगा तथा जिन संस्थाओं/ व्यक्तियों द्वारा वन तथा वन वन्यजीव संरक्षण तथा विकास के संबंध में गत तीन वर्षों में राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया है, उनके नामांकन पर विचार नहीं किया जावेगा।

4. पुरस्कार देने का अवसर :-

उक्त पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में किया जावेगा।

शुद्धि प्रमाणित

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर